न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण R3378-II/14

संतोष कुमार द्विवेदी पिता श्री रामाधार द्विवेदी
निवासी–ग्राम पचौर थाना बरगवा जिला–सीधी म.प्र.

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

तहसीलदार तहसील–सोहागपुर, जिला–शहड़ोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/अ–74/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 08–07–2010 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसीलदार ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किये बिना कलेक्टर के निर्देश का अधानुकरण करते हुये विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3. यह कि, आवेदक ने ग्राम–सोहागपुर भूमि सर्वे क्रमांक 497 के बटांकित सर्वे क्रमांक 497/2 में से 0.26 एकड़ का भूखण्ड अभिलिखित भूमि स्वामी असलम पिता अहमद अली से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 04–12–2002 को क्रय किया था विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामांतरण दिनांक 05–01–2004 को सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाकर भू–अधिकार पुस्तिका प्रदान की गयी थी क्रय करने के दिनांक से आवेदक का निरन्तर आधीपत्य चला आ रहा है.

4. यह कि, तहसीलदार ने विवादित आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को जिसका कि नाम 2002 से अंकित है सूचना अथवा सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया इस कारण विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है

5. यह कि विवादित आदेश दिवाकर सिंह को भूमि सर्वे क्रमांक 497 का भूमि स्वामी मानते हुये पारित किया गया है जबकि आवेदक क्रय किये गये भूखण्ड पर दिवाकर सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है इस कारण विवादित आदेश आवेदक के भूखण्ड पर प्रभावी नहीं होता है विवादित आदेश के आधार पर आवेदक के भूखण्ड से संबंधित खसरे के कॉलम नम्बर–12 में की गयी प्रविष्टि अवैध है तथा आवेदक पर बंधनकारी नहीं है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक- निग.-3378-दो/2014 जिला-शहडोल

संतोष कुमार द्विवेदी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार सोहागपुर, जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 23/अ-74/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 08-07-2010 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-10-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार, जिला-शहडोल के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

09/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य